न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 80 / 2019 / बाड़मेर

अपीलांट

1. चैनाराम पुत्र आदाराम
2. तारांराम पुत्र आदाराम जाति कलबी निवासी देवनगर, भेडाणा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

बनाम

रेस्पोडेंटगण

1.रावताराम पुत्र आदाराम
2.मोतीराम पुत्र आदाराम जाति कलबी निवासी देवनगर, भेडाणा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।
3.श्रीमती बगतु पुत्री आदाराम पत्नी गणेशाराम जाति कलबी हाल निवासी बाटेरा तहसील बागोड़ा जिला जालोर
4.आदाराम पुत्र जोराराम
5.प्रभुराम पुत्र जोराराम
6.केसराराम पुत्र जोराराम जाति कलबी निवासी देवनगर भेडाणा तहसील गुड़ामालानी
7.तहसीलदार गुड़ामालानी।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व विविध संख्या 108 / 2019 (राजस्व वाद संख्या 72 / 2018 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.03.2019) बअनवान रावताराम बनाम आदाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 13.09. 2019 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री खैताराम सैन अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री नारायण कुमावत रेस्पोडेंट संख्या 01 से 03 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः— 04.02.2020

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण संख्या 01 से 03 प्रतिवादी संख्या 01 की धर्मज जायंदा संतान है एवं हिन्दू विधि से शासित है। प्रतिवादी संख्या 01 प्रतिवादी संख्या 04 व 5 सगा भाई है। पक्षकारान की पैतृक खातेदारी की भूमि अविभाजित ग्राम भेडाणा में आई हुई है तथा ग्राम भेडाणा से नवीन ग्रामों का सृजन हो जाने से मौजूदा राजस्व ग्राम भेडाणा में खसरा संख्या 608 व 617 रकबा 20.11 व 29.09 बीघा तथा मौजा देवनगर में खसरा संख्या 95, 886,1067 रकबा 01. 12, 11.05, 06.16 बीघा, ग्राम सरस्वती नगर में खसरा संख्या 873, 879 रकबा 13. 08, 34.11 बीघा तथा ग्राम नीलानाडी में खसरा संख्या 208, 219, 275 रकबा 44.11 बीघा, 26.10, 29.16 बीघा कुल रकबा 218.09 बीघा खातेदारी में रेकर्ड में दर्ज है। जो विरासत में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01, 04 व 05 को प्राप्त हुई है। वादीगण प्रतिवादी संख्या 01 के धर्मज पुत्र पुत्री है इसी कारण अपने पिता प्रतिवादी संख्या 01 के साथ उसके नाम दर्ज हिस्से में बराबर हिस्से में सहखातेदार कृषक है। इस आशय का वाद वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन प्रकरण की मूल पत्रावली का अच्छी तरह अवलोकन करने

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

से साबित है कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधि द्वारा निर्धारित किसी भी कानूनी प्रक्रिया का पालन न कर अपनी मनमर्जी से उक्त अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। मूल वाद में तामील की प्रक्रिया पूरी किये बिना ही अपीलाधीन डिक्री पारित की गई। तामील कुन्निदा कभी सम्मन लेकर अपीलांटगण के घर नहीं आया तथा उतरदाता संख्या 01 से 03 ने तामील कुन्निदा के साथ मिलीभगत कर गलत रूप से अपीलांटगण बाहर गये हुऐ होने से आबाद मकान पर चस्पा करना बताकर सम्मन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किये गये। उतरदाता संख्या 01 से 03 ने अपने प्रतिवादी संख्या 01 आदाराम द्वारा अपीलांटगण के पक्ष में रजिस्टर्ड बेचान करने का इन्द्राज किया गया है तथा रजिस्टर्ड बेचान को निरस्त करने का अधिकारी राजस्व न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय को है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर अपीलाधीन आलोच्य एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री विधि के प्रावधानों के विरूद्ध पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 व आदेश 09 नियम 07 सपठित धारा 151 सी पी सी के साथ पेश धारा 05 म्याद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र में युक्तियुक्त कारण अंकित न होने अपने आलोच्य आदेश में अंकित किया है जबकि धारा 05 म्याद के अधिनियम में स्पष्ट रूप से अंकित है कि अपीलांटगण को वाद के सम्मन ही तामील नहीं हुऐ है तो अपीलांटगण को वाद के सम्मन ही तामील नहीं हुऐ है तो अपीलांटगण को वाद की जानकारी होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है तथा पक्षकारान से विधिवत सम्मन तामील न होने विलम्ब का एक युक्तियुक्त व उचित कारण है, साथ ही अधीनस्थ न्यायालय गुड़ामालानी हर सप्ताह में सोमवार व शुक्रवार को ही कोर्ट लगता हैं क्योंकि पीठासीन अधिकारी के पास एसडीओ धोरीमन्ना का अतिरिक्त चार्ज भी था तथा अपीलांटगण अधिवक्ता द्वारा नकले मिलने पर दिनांक 31.07.2019 को ही आवेदन तैयार कर लिया परन्तु प्रथम बार कोर्ट दिनांक 09.08.2019 को लगने पर सम्यक तत्परता के साथ आवेदन पेश कर दिया गया परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली का विधि सम्मत अवलोकन किये बिना आलोच्य आदेश पारित किया गया जो अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश एवं डिक्री पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

वकील अपीलांट ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन प्रकरण की मूल पत्रावली का अच्छी तरह अवलोकन करने से साबित है कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधि द्वारा निर्धारित किसी भी कानूनी प्रक्रिया का पालन न कर अपनी मनमर्जी से उक्त अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। मूल वाद में तामील की प्रक्रिया पूरी किये बिना ही अपीलाधीन डिक्री पारित की गई। तामील कुन्निदा कभी सम्मन लेकर अपीलांटगण के घर नहीं आया तथा उतरदाता संख्या 01 से 03 ने तामील कुन्निदा के साथ मिलीभगत कर गलत रूप से अपीलांटगण बाहर गये हुऐ होने से आबाद मकान पर चस्पा करना बताकर सम्मन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किये गये। उतरदाता संख्या 01 से 03 ने अपने प्रतिवादी संख्या 01 आदाराम द्वारा अपीलांटगण के पक्ष में रजिस्टर्ड बेचान करने का इन्द्राज किया गया है तथा रजिस्टर्ड बेचान को निरस्त करने का अधिकारी राजस्व न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय को है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर अपीलाधीन आलोच्य एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री विधि के प्रावधानों के विरूद्ध पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 व आदेश 09 नियम 07 सपठित धारा 151 सी पी सी के साथ पेश धारा 05 म्याद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र में युक्तियुक्त कारण अंकित न होने अपने आलोच्य आदेश में अंकित किया है जबकि धारा 05 म्याद के अधिनियम में स्पष्ट रूप से अंकित है कि अपीलांटगण को वाद के सम्मन ही तामील नहीं हुऐ है तो अपीलांटगण को वाद के सम्मन ही तामील नहीं हुऐ है तो अपीलांटगण को वाद की जानकारी होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है तथा पक्षकारान से विधिवत सम्मन तामील न होने विलम्ब का एक युक्तियुक्त व उचित कारण है, साथ ही अधीनस्थ न्यायालय गुड़ामालानी हर सप्ताह में सोमवार व शुक्रवार को ही कोर्ट लगता हैं क्योंकि पीठासीन अधिकारी के पास एसडीओ धोरीमन्ना का अतिरिक्त चार्ज भी था तथा अपीलांटगण अधिवक्ता द्वारा नकले मिलने पर दिनांक 31.07.2019 को ही आवेदन तैयार कर लिया परन्तु प्रथम बार कोर्ट दिनांक 09.08.2019 को लगने पर सम्यक तत्परता के साथ आवेदन पेश कर दिया गया परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली का विधि सम्मत अवलोकन किये बिना आलोच्य आदेश पारित किया गया जो अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश एवं डिक्री पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया लेकिन मामले को लंबा करने की नियत से जानबूझकर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के नाम जारी सम्मन विधि सम्मत रूप से तामील होकर न्यायालय में पेश हुए जिसके आधार पर अपीलांटगण की तामील को पर्याप्त माना गया है। अपीलांटगण का यह कहना कि वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश वाद की जानकारी नहीं थी पूर्णतया मिथ्या व झूठा है। अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश आवेदन में ऐसा कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया है कि उन्हें किस कारण से प्रकरण संख्या 72/2018 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.03.2019 की जानकारी नहीं थी। अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 व आदेश 09 नियम 07 सपठित धारा 151 सी पी सी वास्ते निरस्त करने एकतरफा निर्णय व डिक्री 18.03.2019 का नोटिस तामील की दिनांक अनुसार 12 माह एवं डिक्री दिनांक 18.03.2019 के अनुसार 05 माह की सुदीर्घ देरी से पेश किया गया है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण का आवेदन खारिज फरमाया जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। अपीलांटगण मामले को अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते हुए रेस्पोडेंटगण को परेशान करने हेतु मिथ्या अपील पेश की गई है। अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

RBJ 2019 Page 730
SCC 2003(1) Page 730
RRT 2007(2) Page 788
DNJ (Raj.) 2010(1) Page 400
RRT 2005(1) Page 236
SC 2010 Page 2685
हिन्दू विधि धारा 16 पृष्ठ 700
अतः अपीलांटगण द्वारा पेश अपील को खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का गंम्भीरता से अवलोकन किया गया बाद अवलोकन, विवेचन, मनन के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया जानबुझकर न्यायालय में उपस्थिति नहीं हुए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के नाम जारी सम्मन की पर्याप्त रूप से तामील की रिपोर्ट प्रतिवेदित है। अपीलांटगण येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते है और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अपीलांटगण के इस

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अनावश्यक आपत्तिपूर्ण रवैये का कोई अंत भी नजर नहीं आता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद विस्तृत विवेचन अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है।

RRT 2005(1) Page 236 (तामील में अनियमितता के आधार पर डिक्री अपास्त नहीं की जा सकती हस्तक्षेप हेतु कोई अवैधता नहीं बताई–निर्णीत, समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप करना न्यायसंगत नहीं है)

RBJ 2019 Page 730 (राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 धारा 224 दो वादों के निर्णय के विरूद्ध एक अपील चलने योग्य नहीं हैं। दोनों वादों के निर्णय के विरूद्ध दो अलग–अलग अपील करनी चाहिए।)

SC 2010 Page 2685 (Hindu Marriage Act (25 of 1955), S. 16 Legitimacy of children born out of void/voidable marriages Child born out of live in relationship Can not claim right in coparcenary property of father)

उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर मौजूद तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज करने योग्य ठहरती है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व विविध संख्या 108/2019 (राजस्व वाद संख्या 72/2018 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.03.2019) बअनवान रावताराम बनाम आदाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 13.09.2019 को यथावत रखा जाता है।

04/2/20

(नाथूसिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 04.02.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

04/2/20

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner